फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक.............मुकाम.....................**भादरा**...

....**गोपाल अग्रवाल**.....बनाम.. **ओमप्रकाश अग्रवाल आदि** ....

किस्म मुकदमा............**212 आरटीएक्ट** ....न० .... सन्...41/21.... **2021**............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
18.06.2021	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता कालूराम शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 81/78 के खसरा सं0 285 की 3.8450है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 05.08.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदें न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 05.08.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
27/3/24	पत्रावली आज वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र 212 RTAct में संधिर दावा डिक्री/खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 RTAct खारिज/डिक्री किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	

Scanned with CamScanner